पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के शीर्ष सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) कार्यशाला

देश भर में अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और डाक विभाग द्वारा किया जाता है। 30 जून 2016 तक एपीवाई अभिदाताओं की कुल संख्या लगभग 30 लाख है और रोजाना लगभग 5000 से अधिक एपीवाई खाते खोले जा रहे हैं।

एपीवाई को बढ़ावा देने और एपीवाई अभिदाताओं की संख्या के विस्तार को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए द्वारा, नाबार्ड के साथ मिलकर सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के शीर्ष सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) कार्यशालाओं का आयोजन बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है।

इन कार्यशालाओं में 135 डीसीसीबी और 203 एससीबी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पीएफआरडीए द्वारा प्रतिभागियों को एपीवाई की विशेषताएं, लाभ, शामिल होने की प्रक्रिया, और अभिदाता द्वारा आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों और मुद्दों के बारे बताया गया। इन सभी आयोजनों को नाबार्ड के सभी संबंधित क्षेत्रीय

कार्यालयों का भरपूर सहयोग मिलता है। अगले चरण में आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों में जुलाई महीने से सितम्बर 2016 तक कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के डीसीसीबी के लिए 29–04–2016 को आयोजित एपीवाई कार्यशाला

10–06–2016 को बिहार के डीसीसीबी के लिए आयोजित एपीवाई कार्यशाला

07–06–2016 को उत्तर प्रदेश के डीसीसीबी के लिए आयोजित एपीवाई कार्यशाला

कर्नाटक के डीसीसीबी के लिए 20–06–2016 को आयोजित एपीवाई कार्यशाला

- *अटल पेंशन योजना (एपीवाई, भारत सरकार की एक योजना) अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद से रूपये 1000/ से लेकर रूपये 5000 तक की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन उपलब्ध कराती है। अभिदाता की मृत्यु होने पर समान पेंशन राशि अभिदाता के पति/पत्नी को देय है। अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर नामिति को पेंशन राशि का भुगतान किया गया जाएगा। 60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता के पति/पत्नी के पास बकाया अवधि के लिए अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होगा ताकि पति/पत्नी द्वारा पेंशन प्राप्त की जा सके। प्रवेश, संचयन और पेंशन भुगतान के चरणों के दौरान कर लाभ।*
- *यदि संचयन चरण के दौरान पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिलाभ, न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से अधिक है तो ऐसे वर्धित प्रतिलाभ को वर्धित योजना लाभ के रूप में अभिदाता को दिया जाएगा।*

****